रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225636
CG-DL-E-04032021-225636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 मार्च, 2021

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा एवं ऑनलाईन माध्यमों से शिक्षा) दिशानिर्देश, 2021

फा.सं. अभातशिप/पी एंड एपी/ओडीएल–ऑनलाईन/2021.–

प्रस्तावना :–

शिक्षा को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रीति से शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की बातचीत या तो आमने–सामने रीति में या ऑनलाइन रीति का उपयोग करके होती है। शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ शिक्षण रीति काफी हद तक अप्रत्यक्ष है जहां, शिक्षार्थी स्व–शिक्षण सामग्री प्राप्त करते हैं और संकाय के साथ ज्यादा बातचीत किए बिना तैयारी करते हैं। अभातशिप ने स्टैंडअलोन संस्थानों और मानित विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षण रीति (ओडीएल) के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए तथा इन दिशानिर्देशों को यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण रीति) विनियम, 2017 एवं यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण रीति) विनियम, 2018 से पुष्टिकरण हेतु वर्ष 2020 में इनमें संशोधन किए गए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 में प्रौद्योगिकी और आईसीटी के उपयोग के माध्यम से सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने पर बल दिया गया है। एनईपी–2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अभातशिप ने ओडीएल रीति और ऑनलाइन रीति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

अतः, अब ;

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10(ख)(छ)(झ)(ञ)(ड)(ढ) तथा (ण) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रकार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए तथा स्टैंडअलोन संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों के लिए अधिसूचित अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्ति (ओडीएल)) दिशानिर्देश, 2019 हेतु अधिसूचित विनियम, अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) दिशानिर्देश, स्टैंडअलोन संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों के लिए अधिसूचित अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा

प्राप्ति (ओडीएल)) दिशानिर्देश, 2020 के अतिक्रमण में ये दिशानिर्देश अधिसूचित करती है : ये दिशानिर्देश यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम), विनियम 2020 के अनुरूप प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी डोमिन में कृत्रिम मेधा एवं डाटा विज्ञान, लॉजिस्टिक तथा यात्रा एवं पर्यटन के क्षेत्र में मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा तथा/अथवा ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा (ओडीएल–ऑनलाईन) से पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं तथा तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं पर निम्नानुसार लागू हैं :–

भाग–I

1. संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग और प्रारंभ :–

ये दिशानिर्देश प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी डोमिन में कृत्रिम मेधा एवं डाटा विज्ञान, लॉजिस्टिक तथा यात्रा एवं पर्यटन में ऑनलाईन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा तथा/अथवा ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा के लिए आशयित हैं जिन्हें ''अभातशिप (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा एवं ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा) दिशानिर्देश, 2021'' कहा जाएगा।

1.1. ये दिशानिर्देश मुक्त और दूरस्थ शिक्षण रीति/ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर डिग्री स्तरीय कार्यक्रम (जैसा अनुमोदन प्रक्रिया में परिभाषित किया गया है) प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, प्रवेश, भौतिक और शैक्षणिक सुविधाओं, संकाय और कर्मचारी (स्टॉफ) पैटर्न, उनकी योग्यताओं, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता, अनुदेश, आंकलन और परीक्षाओं के लिए सन्नियम और मानक शिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं तथा ये अभातशिप द्वारा समय–समय पर जारी किन्हीं अन्य विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों अथवा अनुदेशों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं।

1.2. ये दिशानिर्देश जिन संस्थाओं पर लागू होंगे जैसेकि स्टैंडअलोन संस्थाओं हेतु, मानित विश्वविद्यालयों और एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालय के लिए प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी डोमिन में कृत्रिम मेधा एवं डाटा विज्ञान, लॉजिस्टिक और यात्रा एवं पर्यटन में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर डिग्री स्तरों पर अधिगम के सभी कार्यक्रमों के लिए लागू होंगे।

1.3. ये दिशानिर्देश इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन दिशानिर्देशों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

2.1 ''शैक्षणिक सत्र'' से प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के या तो जनवरी/फरवरी माह में अथवा जुलाई/अगस्त माह में जैसा भी मामला हो, आरंभ होने वाले बारह माह के कार्यक्रम अभिप्रेत है ;

2.2 ''अधिनियम'' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 अभिप्रेत है ;

2.3 "अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका(एपीएच)'' से अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका अभिप्रेत है ;

2.4 ''आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र'' (सीआईक्यूए) से ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था द्वारा आंतरिक गुणवत्ता निगरानी तंत्र के माध्यम से पेशकश किए जा रहे कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है ;

2.5 ''पारंपरिक पद्धति'' से अभिप्रेत नियमित कक्षा के वातावरण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच आमने–सामने परस्परिक संवाद के माध्यम से ज्ञान अर्जन के अवसर प्रदान करने की पद्धति से है लेकिन शिक्षार्थी के लिए ऑनलाईन उपयोग के माध्यम से अनुपूरक निर्देशों, यदि कोई हो, को वर्जित नहीं करता है ;

2.6 ''क्रेडिट'' से अभिप्रेत उस इकाई के संबंध में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम घंटों के अध्ययन प्रयासों के साथ एक शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त की गई इकाई से है ;

2.7 ''डिप्लोमा / पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र / स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर डिग्री'' से अभातशिप अधिनियम की उपधारा 10(झ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करना अभिप्रेत है (जैसा अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में परिभाषित किया गया है)।

2.8 ''दोहरी रीति संस्थान'' से अभिप्रेत पारंपरिक पद्धति के अधीन तथा ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के अधीन कार्यक्रमों को संचालित करने वाले संस्थान से है ;

2.9 ''ई–ज्ञान सामग्री'' से अभिप्रेत ज्ञान अर्जन प्रबंधन के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में प्रतिपादित किए गए, ऑनलाईन कार्यक्रम में एक या अधिक पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में संरचित पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में शामिल विषय सामग्री से है, जो अन्य बातों के साथ स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, शिक्षार्थी पर आत्म–निर्देशित और आत्म–मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी और अध्ययन पाठ्यक्रम में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाती है, लेकिन इसमें पाठ्य–पुस्तकें या गाइड–पुस्तकें शामिल नहीं हैं ; जैसा कि इन विनियमों में परिभाषित किया गया है ;

2.10 ''परीक्षा केंद्र'' से अभिप्रेत उस स्थान से है जहां ओडीएल माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति रीति से तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से शिक्षा प्रदान करने हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और जहां परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए न्यूनतम मानकों का पालन करते हुए अपेक्षित अवसरचंना और पर्याप्त जनशक्ति हो।

2.11 इन दिशा–निर्देशों के प्रयोजनार्थ ''फ्रैंचाइजिंग'' शब्द का अभिप्राय इसमें औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, इन दिशा–निर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त संस्था के अलावा, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा संगठन को अनुमति प्रदान करने से है, जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण रीति से और/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान के नाम से अथवा इसकी ओर से अध्ययन के ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश कर सकें और 'फ्रेंचाइज' और 'फ्रैंचाइजी' शब्दों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

2.12 ''सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' से अभिप्रेत संचार, सृजन, प्रसार, भंडार, सूचना के प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए उपकरणों और संसाधनों के विविध समूह से हैं और जिन्हे पारस्परिक संवाद से शिक्षण–ज्ञान अर्जन, पहुंच बढ़ाने, ज्ञान सह सूचना को सांझा करना सुनिश्चित करने, शैक्षणिक प्रणाली और संसाधनों के क्षमता निर्माण और प्रबंधन के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाता है ;

2.13 ''संस्थाओं'' से अभिप्रेत यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें स्टैंडअलोन संस्था, मानित विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शामिल हैं।

2.14 ''एकीकृत कार्यक्रम'' का वही अर्थ होगा जो अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) में निर्धारित है ;

2.15 ''शिक्षार्थी सहायता केन्द्र'' से अभिप्रेत, मंत्रणा करने, परामर्श देने, शिक्षकों और शिक्षणार्थियों के बीच एक संपर्क का माध्यम प्रदान करने, और शिक्षणार्थियों द्वारा अपेक्षित किसी भी शैक्षणिक अथवा किसी भी अन्य संबंधित सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र से है ;

2.16 ''शिक्षार्थी सहायता सेवाएं'' से अभिप्रेत तथा उसमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो किसी संस्था द्वारा प्रदान की जाती हैं ताकि शिक्षार्थी द्वारा शिक्षण–ज्ञान अर्जन के अनुभवों को अभातशिप द्वारा विहित कार्यक्रम के अध्ययन के एक स्तर तक लाया जा सके ;

2.17 ''ज्ञान अर्जन की प्रबंधन प्रणाली'' से अभिप्रेत ई–ज्ञान अर्जन कार्यक्रमों के प्रतिपादन, शिक्षार्थी के नियोजन, मूल्यांकन, परिणाम, एक केंद्रीकृत स्थान पर रिपोर्ट करने और अन्य संबंधित विवरण का पता लगाने की प्रणाली से है ;

2.18 ''एमओओसी(मूक्स) से अभिप्रेत जैसाकि अभातशिप (स्वयं के माध्यम से ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट ढांचा विनियम), 2016 के अंतर्गत दिए अनुसार के समान है ;

2.19 ''ऑनलाईन रीति'' से अभिप्रेत इंटरनेट प्रयोग के प्रौद्योगिकी सहायता तंत्र और संसाधनों के माध्यम से इंटरनेट, ई–ज्ञान अर्जन सामग्री और पूर्ण कार्यक्रम वितरण का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की दूरी की बाधा को पार कर लचीले ज्ञान अर्जन के अवसर प्रदान करने से है ;

2.20 ''मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति (ओ.डी.एल.)'' रीति से अभिप्रेत एक व्यावहारिक अथवा कार्य अनुभव सहित एक संस्था या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एमओओसीएस (मूक्स), ऑनलाइन और कभी–कभी सापेक्ष आमुख भेंट करने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ अनेकानेक मीडिया का उपयोग कर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की खाई को पाटकर लचीली ज्ञान अर्जन सेवाएं मुहैया करवाना है।

2.21 ''कार्यक्रम'' से अभिप्रेत ऐसे पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम से है जिसमे संस्था में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाती है ;

2.22 ''निषिद्ध कार्यक्रम'' से अभिप्रेत इन दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए गए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम को छोड़कर, वे इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम – इंजीनियरी, भेषजी, वास्तुकला, होटल प्रबंधन, अनुप्रयुक्त कला, शिल्प और डिजाइन में कार्यक्रम हैं, जिनके लिए ये लागू नहीं होंगे क्योंकि अभातशिप इंजीनियरी, भेषजी, वास्तुकला, होटल प्रबंधन, अनुप्रयुक्त कला, शिल्प और डिजाइन जैसे कार्यक्रम जिनमें प्रयोगशाला, प्रयोग कार्य तथा गहन अभ्यास वाले कार्यक्रमों के लिए ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति की अनुमति नहीं देते हैं।

2.23 ''विवरण पुस्तिका (प्रोस्पैक्टस)'' में संस्थान और उसके कार्यक्रमों से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी सूचना आम जनता (ऐसे संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक लोगों के लिए) को प्रदान करने के लिए किसी संस्थान, ऐसे संस्थान के प्रबंधन या किसी भी प्राधिकारी या ऐसा करने के लिए ऐसे संस्थान द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रकाशन, चाहे प्रिंट या ई–फार्म में हो, शामिल है ;

2.24 ''पीपीआर'' से कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट अभिप्रेत है।

2.25 ''प्रमाणित परीक्षा'' से अभिप्रेत अधिकृत व्यक्ति या प्रौद्योगिकी सक्षम प्रोक्टरिंग के पर्यवेक्षण में आयोजित परीक्षा से है जो परीक्षण लेने वाले की पहचान और परीक्षण लेने के वातावरण की शुचिता को सुनिश्चित करती है, या तो पेन–पेपर पद्धति में या कम्प्यूटर आधारित परीक्षण पद्धति में या पूर्ण–ऑनलाईन पद्धति में; जैसा कि इन विनियमों के अधीन ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति में अनुमेय हो ;

2.26 ''क्षेत्रीय केंद्र'' से अभिप्रेत अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार क्षेत्र में शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के कार्य का समन्वय या निगरानी करने के प्रयोजन से संस्थान द्वारा स्थापित या रखरखाव किए गए केंद्र और ऐसे अन्य कार्य के निष्पादन से है जैसे कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के कानूनी प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त किया गया हो ;

2.27 ''मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति से स्वतः ज्ञान अर्जन सामग्री'' से अभिप्रेत तथा इसमें पाठ्यक्रम सामग्री, चाहे वह मुद्रित हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी पाठ्य विषयवस्तु शामिल है, जो अन्य बातों के साथ–साथ स्वतः स्पष्ट हो, अपने आप में सम्पूर्ण हो, शिक्षार्थी हेतु स्वतः निर्देश देने वाली, स्व–मूल्यांकन कराने वाली और अध्ययन के पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी को ज्ञान अर्जन के विहित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली पाठ्य सामग्री हो, परंतु इसमें पाठ्य–पुस्तकें अथवा गाइड–पुस्तकें शामिल नहीं हैं।

2.28 "ऑनलाईन पद्धति के लिए स्वतः–ज्ञान अर्जन ई–मॉडयूल" से अभिप्रेत ई–ज्ञान अर्जन प्रारूप में पाठ्यक्रम सामग्री की मॉडयूलर इकाई से है जो अन्य बातों के होते हुए भी स्वतः स्पष्ट, स्वतः पूर्ण, शिक्षार्थी से स्व–निर्देशित, और आत्म–मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी, और अध्ययन पाठ्यक्रम में ज्ञान अर्जन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाती है और इसमें विषय सामग्री निम्नलिखित ई–ज्ञान अर्जन विषय सामग्री के मिश्रण रूप में सम्मिलित है, अर्थात :–

(क) ई–पाठय सामग्री ;

(ख) वीडियो व्याख्यान ;

(ग) ऑडियो–विजुअल (दृश्य–श्रव्य) सवांदात्मक सामग्री ;

(घ) वर्चुअल क्लासरूम सत्र ;

(ड़) ऑडियो पोडकास्ट ;

(च) वर्चुअल सिमुलेशन ; तथा

(छ) स्व–मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी अथवा परीक्षण (टेस्ट)

2.29 ''स्वयं (युवा आकांक्षी प्रतिभाओं हेतु क्रियाशील अधिगम हेतु अध्ययन वेब)" से अभिप्रेत है अभातशिप (स्वयं के माध्यम से ऑनलाईन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2016 अथवा इसमें हुए बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट, प्रबंधन प्रणाली ;

2.30 ''तकनीकी शिक्षा'' से अभिप्रेत ऐसी शिक्षा जिसे अभातशिप अधिनियम के अनुसार परिभाषित किया गया है, जिसे दस वर्ष की स्कूली और दूरस्थ शिक्षण प्रणालियों/ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से (केवल वहीं, जहां अभातशिप द्वारा समय–समय पर अनुमति प्रदान की गई है) प्रदान किया गया है जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होता है अथवा बारह वर्ष की स्कूली शिक्षा के उपरांत जिसके परिणामस्वरूप डिग्री प्राप्त होती है; अथवा जिसके परिणास्वरूप डिप्लोमा के उपरांत पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है अथवा जिसके परिणामस्वरूप स्नातक के उपरांत स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र; स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाती है (जैसाकि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में परिभाषित किया गया है);

2.31 ''यूजीसी'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

2.32 ''यूजीसी (आनॅलाईन–ओडीएल) विनियम'' से अभिप्रेत समय–समय पर संशोधित किए गए अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 है ;

2.33 ''विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय'' से यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालय घोषित की गई उच्च शिक्षा संस्थाएं अभिप्रेत हैं।

भाग–II

मुक्त और दूरस्थ शिक्षण रीति (ओ.डी.एल.) से तथा ऑनलाईन शिक्षण रीति से शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रमां के लिए संस्थाओं की मान्यता

3. संस्थागत स्तर के पात्रता मानदंड :

कोई भी संस्था ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से कार्यक्रम संचालित करने के लिए आवेदन कर सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, जैसे :–

(क) संस्थान ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के 4 अंक के पैमाने पर 3.26 अथवा उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो अथवा एनबीए का 1000 के पैमाने पर 700 का स्कोर प्राप्त किया हो अथवा जिन्होने आवेदन करने के समय पर प्रक्रमण के 3 चक्रों में से कम से कम 2 चक्रों में (आवेदन के समय) में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढ़ाचे की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया हो, केवल ऐसी संस्थाओं को अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना केवल एनबीए प्रत्यायित पाठ्यक्रमों में पूर्णतः ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाइन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि संस्था द्वारा इस विनियम में दी गई सभी शर्तों को पूरा किया गया हो :

बशर्ते यह भी कि संस्थाओं द्वारा आवेदन और वांछित जानकारी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है और संस्थाओं को दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा और उनके द्वारा अभातशिप को शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा :

(ख) कोई भी संस्था, ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवेदन कर सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :–

कम से कम पाँच वर्षों से अस्तित्व में हो ; तथा

(i) अंक *–4 के* पैमाने पर न्यूनतम 3.01 अंक के स्कोर के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायित

अथवा

(ii) 1,000 के पैमाने पर कम से कम 650 अंकों के साथ एनबीए द्वारा प्रत्यायित

अथवा

(iii) पिछले तीन पूर्ववर्ती चक्रों (आवेदन के समय) में से न्यूनतम दो बार राष्ट्रीय संस्थागत

रैंकिंग ढांचे में विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष–100 में स्थान प्राप्त हो :

इसके अलावा, संस्था को प्रारंभिक अनुमोदन की तारीख से अगले 2 वर्षों में 1000 के पैमाने पर 650 अंकों के न्यूनतम स्कोर के साथ एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

4. प्रस्ताव जमा करने के लिए अपेक्षाएं :–

सम्बन्धित अपेक्षाएं यूजीसी (ऑनलाइन–ओडीएल) विनियमों में निर्दिष्ट एवं संबंधित वर्ष की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार।

5. कार्यक्रम अनुमोदन प्रक्रिया :

(1) इन विनियमों की अधिसूचना के तत्काल पश्चात और आगामी वर्षों हेतु शैक्षणिक सत्र के लिए ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से कार्यक्रम की पेशकश करने का इच्छुक संस्थान ऑनलाइन आवेदन करेगा, जब कभी अभातशिप द्वारा अधिसूचित प्रारूप में ,अभातशिप द्वारा आमंत्रित किया गया हो और इसे उसमें विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति के साथ विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा :

ये संस्थान अभातशिप को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे इन विनियमों की अधिसूचना से अगले शैक्षणिक सत्र के आरंभ से पहले इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

(2) अभातशिप इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निम्नलिखित रीति से प्रक्रमण करेगा, अर्थात् :

(i) आवेदन में पाई गई कमी अथवा त्रुटि की सूचना अभातशिप द्वारा अधिसूचित आवेदन प्रक्रमण अनुसूची के अनुसार संस्था को संप्रेषित की जाएगी तथा संस्था 15 दिनों की समयावधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों अथवा सूचना, यदि कोई है, के साथ ऐसी कमियों अथवा त्रुटियों को दूर करेगी अथवा उनका संशोधन करेंगी ;

(ii) जहां संस्था ने ओडीएल माध्यमों से शिक्षा रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से कार्यक्रम(मों) को प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है, अभातशिप विशेषज्ञ समिति के माध्यम से अपने विवेकानुसार ऐसी संस्था द्वारा चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रम(मों) के संबंध में एक निरीक्षण कर सकता है ;

(iii) अभातशिप, विधिवत रूप से परिषद् द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की मदद से आवेदन की जांच करेगा और समिति की सिफारिशें विचार करने के लिए कार्यकारिणी समिति/परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी।

(3) ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने के लिए जमा किए गए आवेदन को अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में यथा निर्धारित किए गए अनुसार संसाधित करने के पश्चात्, अभातशिप :–

(i) यदि यह संतुष्ट है कि ऐसी संस्था निर्धारित शर्तों को पूरा करती है और इन दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों पर खरा उतरती है तो, ऐसी संस्था को ऐसे कार्यक्रमों को ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति अथवा दोनों रीतियों के संबंध में ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट कर सकती है, अनुमोदन प्रदान करने का आदेश दे सकती है

बशर्ते यह कि कोई आदेश पारित करते समय, जहां अभातशिप एक या अधिक कार्यक्रमों के संबंध में अनुमोदन प्रदान नहीं करती है, अभातशिप इस आदेश में इंकार किए जाने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगी

(ii) यदि अभातशिप की यह राय है कि ऐसी संस्था, संस्था द्वारा या तो ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति अथवा दोनों रीतियों से चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम के संबंध में खण्ड (झ) में निर्धारित अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती है, तो ऐसे संस्था को अनुमोदन प्रदान करने से इंकार करने हेतु आदेश जारी करेगी तथा इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(4) ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति अथवा दोनों रीतियों से शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के संबंध में *अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका* में निर्धारित किए गए अनुसार संस्था को अनुमोदन देने अथवा अस्वीकार करने वाले हर आदेश को ऐसी संस्था तथा संबंधित राज्य सरकार, यूजीसी और केन्द्र सरकार को उपर्युक्त कार्रवाई के लिए लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(5) प्रत्येक संस्था, जिनके संबंध में अभातशिप द्वारा कार्यक्रम(मों) को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से प्रदान किए जा रहे कार्यक्रम (मों) को बंद करेंगी।

बशर्ते कि वर्तमान में अनुमोदित कार्यक्रमों में पहले से ही नामांकित शिक्षार्थियों को निर्धारित तरीके से कार्यक्रमों को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

अभातशिप द्वारा अनुमोदित प्रत्येक संस्थान को ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति में कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति उस शैक्षणिक सत्र से दी जाएगी जैसाकि अभातशिप के आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(6) कोई भी संस्था किसी भी ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से कार्यक्रम तब तक संचालित नही करेगी तथा न ही छात्रों को प्रवेश देगी जब तक की उसे अभातशिप द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं कर दिया जाता है तथा अनुमोदन हेतु प्रत्याशा में प्रवेश नहीं किया जाएगा।

(7) **प्रवेशक्षमता** – किसी विशेष कार्यक्रम में अधिकतम अनुमोदित प्रवेशक्षमता पारम्परिक/नियमित रीति में शिक्षा हेतु संस्वीकृत प्रवेशक्षमता से तीन गुणा तक ही होगी।

(8) क्रेडिट सिस्टम पर आधारित ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति से कार्यक्रमों की संचालित करने के लिए मानदंड

स्तर/कार्यक्रम	क्रेडिट	कार्यक्रम की अवधि
दसवीं कक्षा के बाद डिप्लोमा	120	3 वर्ष
कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री	80	2 वर्ष
प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री	80	2 वर्ष
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	80	2 वर्ष
स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र	40	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम
पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण पत्र	40	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम

नोट :

(क) एक क्रेडिट, शिक्षा की पारंपरिक रीति में 14–15 सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह एक व्याख्यान घंटे अथवा ट्यूटोरियल घंटे के समकक्ष होगा। ओडीएल रीति के मामले में, एक क्रेडिट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अथवा आमने–सामने रीति के संयोजन के माध्यम से किसी शिक्षार्थी द्वारा 30 घंटे के शिक्षण के समकक्ष हैं।

(ख) ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के अंतर्गत कार्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि संबंधित कार्यक्रमों की समयावधि से दोगुनी होगी।

(9) कार्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदन :

(क) पीजीडीएम/पीजीसीएम या यात्रा और पर्यटन कार्यक्रमों का संचालन करने वाली स्टैंडअलोन संस्थाओं को पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद अनुमोदन दिया जाएगा।

(ख) यूजीसी (ऑनलाइन–ओडीएल) विनियम, 2020 के अनुसार किसी भी डोमेन में कार्यक्रम संचालित करने हेतु संबंधित नियामक निकाय से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है तद्नुसार, संस्थान जो विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय हैं उन्हें वास्तविक रूप से कार्यक्रम संचालित करने हेतु अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा उनके लिए यूजीसी से अनुमोदन प्राप्त करना भी अनिवार्य है। किसी भी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान को ओडीएल रीति तथा / अथवा ऑनलाइन रीति से कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं है।

6. अनुमोदन का वापस लिया जाना :–

(1) जहां अभातशिप, स्वयं अथवा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन अथवा किसी प्राधिकरण अथवा किसी सांविधिक निकाय से प्राप्त किसी जानकारी अथवा इसके द्वारा की गई किसी जांच अथवा निरीक्षण के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि, संस्था ने इन दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध या इसके तहत बनाए गए या जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा कोई भी ऐसी जानकारी अथवा दस्तावेजी साक्ष्य जो जमा किए गए हैं अथवा प्रस्तुत किए हैं जो कि किसी भी स्तर पर अथवा किसी भी स्थिति में गलत पाए जाते हैं अथवा किसी शर्त की पूर्ति नहीं करते हैं, जिसके अध्यधीन मान्यता प्रदान की गई है, तो यह ऐसे कार्यक्रम(मों) के संबंध में ऐसे संस्थान की मान्यता वापस ले सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा;

बशर्ते जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध अपना पक्ष रखने के लिए ऐसी संस्था को उचित अवसर नहीं दिया गया हो, तब तक संस्था के विरूद्ध अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा;
बशर्ते आगे कि अभातशिप द्वारा पारित मान्यता वापस लेने या मान्यता प्रदान करने से इंकार करने वाला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालय संस्थान के लिए अनुमोदन की वापसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सूचित किया जाएगा।

(2) यदि कोई संस्था इन दिशानिर्देशों के तहत मान्यता वापस लेने के आदेश के पश्चात् ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से किसी भी शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करती है अथवा जहां एक संस्था इन दिशानिर्देशों के लागू होने से पूर्व ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से एक कार्यक्रम की पेशकश कर रही हो तथा इन दिशानिर्देशों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत पश्चात् शिक्षा सत्र हेतु ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रमों की पेशकश करने के संबंध में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाती है तो ऐसे संस्थान में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति

के माध्यम से चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रम के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र/स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र/स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर डिग्री को वैध योग्यता नहीं माना जाएगा।

(3) अभातशिप की अनुमति के बिना अथवा इन दिशानिर्देशों अथवा उनके तहत तैयार किए गए आदेशों के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन कर यदि कोई भी संस्था ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से कोई कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की पेशकश करती पायी जाती है तो अभातशिप :–

(i) कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है अथवा किसी एक शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता वापस ले सकती है अथवा अधिकतम अगले पांच शैक्षणिक सत्रों के लिए मान्यता वापस ले सकता है अथवा स्थायी रूप से मान्यता वापस ले सकती है;

(ii) उल्लंघन करने वाले संस्थान के कर्मचारियों अथवा प्रबंधन के विरूद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जा सकती है यदि उपर्युक्त के बावजूद, संस्था उल्लंघन जारी रखती हुई पायी जाती है तो ;

(iii) कार्यक्रम के अनुमोदन को वापस लेना ;

(iv) अभातशिप से प्राप्त होने वाला अनुदान बंद किया जा सकता है अथवा अनुदान प्राप्त करने पर रोक लगाई जा सकती है ;

(v) मामले को यूजीसी, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों के मामले में, को भेजा जा सकता है; और

(vi) संस्था पर यथालागू अधिनियम या दिशानिर्देशों/अनुदेशों/विनियमों के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई कर सकती है।

7. अपील :–

7.1. दिशानिर्देशों के तहत मान्यता को वापस लिए जाने के आदेश से विक्षुब्ध कोई भी संस्था पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अभातशिप के समक्ष अपील दायर कर सकती है।

7.2. निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

7.3. इन दिशानिर्देशों के तहत की गई प्रत्येक अपील के साथ अपील के विरूद्ध अभातशिप द्वारा जारी किए गए आदेश की एक प्रति लगाई जाएगी तथा अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान भी जमा किया जाएगा।

7.4. अपील का निपटान करने की प्रक्रिया को अभातशिप द्वारा समय–समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किया जाएगा।

7.5. अभातशिप, की गई अपील के विरूद्ध आदेश की पुष्टि कर सकती है अथवा उसे उलट सकती है।

भाग–III
संस्थाओं द्वारा अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक तथा अन्य गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का रखरखाव

संस्थान उच्च शिक्षा संस्थानों, 2020 के लिए यूजीसी (ऑनलाइन–ओडीएल) और समय–समय पर अद्यतन विनियमों में अधिसूचित और संबंधित वर्ष के लिए अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट अनुसार, अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक और अन्य गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को बनाए रखेगा।

बशर्ते कि दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के केंद्र या ऑनलाइन शिक्षण और शिक्षार्थी सहायता केंद्रों (केवल ओडीएल के लिए) में शिक्षकों (और समकक्ष शैक्षणिक पदों) को अभातशिप द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाएगा और यूजीसी के नियमों में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा।

भाग– IV
प्रवेश, परीक्षाएं तथा शिक्षार्थी सहायता

संस्था यूजीसी (ऑनलाइन–ओडीएल) विनियम, 2020 में निर्दिष्ट यूजीसी मानकों का पालन करेगी।

बशर्ते कि संस्थान द्वारा अभातशिप (छात्र की शिकायत का निवारण) विनियम, 2019 या बाद के संशोधनों और संबंधित विनियमों को अपनाया और संचालित किया जाएगा, और संस्थान शिकायत निवारण की एक प्रणाली स्थापित करेगा ।

भाग–V
मूल्यांकन, प्रत्यायन, लेखापरीक्षा, निरीक्षण तथा निगरानी

8. मूल्यांकन, प्रत्यायन और लेखापरीक्षा –

(1) ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति में कार्यक्रम संचालित करने वाला संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन) विनियम, 2012 अथवा एनबीए अथवा एनएएसी अथवा एनआईआरएफ द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करेगा और किसी भी मामले में मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए आवेदन करेगा और ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति में इसके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए उन नियमों / दिशानिर्देशों के तहत आवेदन करेंगे।

(2) ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाइन रीति में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इन दिशानिर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान को अपने सभी कार्यक्रमों को एक वर्ष में एक बार अभातशिप द्वारा निर्धारित प्रारूप में और गुणवत्ता आश्वासन के बारे में रिपोर्ट के माध्यम से आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र के माध्यम से मूल्यांकन करवाना होगा। शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से पहले, इसको वेबसाइट पर प्रमुखता से रखा जाना चाहिए और अभातशिप को एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए।

(3) ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाइन रीति में कार्यक्रम शुरू करने के लिए इन दिशानिर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान हर पांच साल में थर्ड पार्टी द्वारा संचालित शैक्षणिक लेखापरीक्षा से और हर साल आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा संचालित आंतरिक शैक्षणिक लेखा परीक्षा से गुजरना होगा।

9. निगरानी तथा निरीक्षण करने की शक्तियां :–

(1) अभातशिप, आवधिक आधार पर संस्था के निष्पादन की समीक्षा करेगी और इस प्रयोजनार्थ वह संस्था को ऐसी जानकारी प्रदान करने के निर्देश दे सकती है, जैसा कि संस्था द्वारा दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपेक्षित हो, और संस्था के लिए ऐसी जानकारी को ऐसी समयावधि में मुहैया कराने की बाध्यता होगी, जैसा कि यह विनिर्दिष्ट करें।

(2) जहां अभातशिप, स्वतः ही अथवा इसे प्राप्त जानकारी के आधार पर, लिखित में कारणों को दर्ज किया जाना आवश्यक समझती हो, उस स्थिति में वह निरीक्षण द्वारा अथवा विशेषज्ञों के एक दल के माध्यम से निरीक्षण के द्वारा अथवा जैसी वह उचित समझे, जांच करवा सकती है, ताकि वह स्वयं को संतुष्ट कर सके कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा रीति के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही संस्था द्वारा इन दिशानिर्देशों के तहत सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है तथा चूककर्ता संस्था से अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।

भाग–VI : विविध

10. प्राधिकारी –

(1) अभातशिप इन दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु विभिन्न कृत्यों के निष्पादन के लिए अभातशिप के अधिकारियों को अधिकृत कर सकती है।

(2) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभातशिप अपनी शक्ति अभातशिप के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकती है, जैसाकि यह लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करें।

(3) अपील आदि के प्रयोजनों के लिए, अभातशिप अपने अधिकारियों सहित ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की अपीलों की सुनवाई करने तथा निर्णय लेने के लिए अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती है, जैसाकि यह लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करें।

11. पारंपरिक अथवा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाईन रीति के माध्यम से अर्जित अर्हता की समकक्षता : संस्थानों द्वारा ओडीएल रीति **तथा/अथवा** ऑनलाइन रीति के माध्यम से संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम पारंपरिक रीति में दिए जाने वाले प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / पीजी डिप्लोमा / पीजी डिग्री स्तर के कार्यक्रम के समकक्ष माना जाएगा।

12. शिक्षार्थी केंद्रित प्रावधान :

(i) शिक्षार्थियों की गतिशीलता : इन विनियमों के तहत अभातशिप द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति तथा/अथवा ऑनलाइन रीति के अधीन नामांकित शिक्षार्थी, संस्थान के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार और संस्थान के वैधानिक अधिकारियों के अनुमोदन से संस्थान के भीतर ज्ञान अर्जन की एक रीति से ज्ञान–अर्जन की दूसरी रीति के लिए परिवर्तनीयता हेतु पात्र होंगे ;

परंतु यह कि, यदि कोई कार्यक्रम विनियामक प्राधिकरण / वैधानिक परिषद के कार्यक्षेत्र के अधीन है, तो संस्थान ऐसे कार्यक्रमों के तहत शिक्षार्थियों की परिवर्तनीयता के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण / वैधानिक परिषद् से अनुमति लेगा।

(ii) मान्यता अवधि के दौरान लिया गया प्रवेश : मान्यता अवधि के दौरान ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के तहत किसी मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में लिया गया प्रवेश कार्यक्रम के पूरा होने तक मान्य रहेगा, भले ही संस्थान के पास आगे के वर्षों के लिए मान्यता न हो, परंतु कार्यक्रम की पेशकश अभातशिप मानदंडों के अनुसार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और मौजूदा विनियामक निकायों के मौजूदा दिशानिर्देशों तथा/अथवा अभातशिप दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुरूप संचालित किया गया हो।

(iii) शिक्षार्थियों का नामांकन (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति के लिए) : देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई शिक्षार्थी ओडीएल शिक्षा रीति के तहत अभातशिप द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित किए जा रहे किसी भी कार्यक्रम में नामांकन करा सकता है, बशर्ते कि संस्था अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर शिक्षार्थी के लिए सभी कार्यकलाप जैसेः प्रवेश, संपर्क कार्यक्रम, परीक्षा आदि का कडाई से संचालन करेगा, जैसाकि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है। अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन किसी भी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में भर्ती किए गए शिक्षार्थियों की कुल संख्या किसी भी समय 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में 1000 से अधिक नामांकन होने की स्थिति में यथानुपात आधार पर पदों और अवसरंचनात्मक सुविधाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।

(iv) शिक्षार्थियों का नामांकन (ऑनलाइन रीति के लिए) : भारत के भीतर या बाहर रहने वाला कोई शिक्षार्थी ऑनलाइन के तहत अभातशिप द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी भी कार्यक्रम में नामांकन कर सकते हैं।

13. प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों की पेशकश : ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लामा/प्रमाणपत्र स्तर की पेशकश कर रहे कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान प्रतिषिद्ध कार्यक्रमों के अतिरिक्त विषयक्षेत्र में ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों की इस शर्त के अध्यधीन संचालित

कर सकता है, कि इस तरह के कार्यक्रमों की वास्तविक शुरूआत से पहले, सभी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कार्यक्रमों को संस्थानों और नियामक प्राधिकरण/परिषद् के वैधानिक अधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना चाहिए तथा शिक्षण तंत्र ओडीएल शिक्षा तथा/अथवा ऑनलाइन शिक्षा जैसा भी मामला हो, के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। इस तरह की अपेक्षाओं के गैर–अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दों के लिए संस्थान पूरी तरह से जिम्मेदार होगा :

14. **मुक्त और दूरस्थ शिक्षण रीति तथा/अथवा ऑनलाइन रीति के माध्यम से एकीकृत कार्यक्रम** : ओडीएल रीति तथा/अथवा ऑनलाईन शिक्षण रीति के माध्यम से एकीकृत कार्यक्रम की पेशकश के लिए संस्थाओं से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर अभातशिप द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब वह डिग्रियों के विनिर्देश पर समय–समय पर लागू यूजीसी की अधिसूचना के अनुपालन में हो।

15. **अनिवार्य आवश्यकताएँ**: यूजीसी (ऑनलाइन–ओडीएल) विनियमों में दी गई अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे :– (i) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र, (ii) परीक्षा का आयोजन और परीक्षा केन्द्रों के लिए न्यूनतम मानक, (iii) मानव संसाधन और अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं, (iv) कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) पर दिशानिर्देश, (v) मल्टीपल मीडिया एवं पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र में शिक्षण सामग्री संबंधी गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देश, (vi) स्व–शिक्षण सामग्री और ई–शिक्षण सामग्री पर दिशानिर्देश, (vii) शिक्षार्थी सहायता केंद्रों, गैर–स्वयं अधिगम प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए मूल्यांकन मानदंड, (viii) शिकायत निवारण तंत्र को यूजीसी (ऑनलाइन–ओडीएल) विनियम, 2020 तथा समय–समय पर यथा संशोधित में दिए गए अनुलग्नकों के अनुसार स्थापित करना होगा।

16. **निर्वचन खंड** – इन दिशानिर्देशों के निर्वचन में विचारों में मतभेद होने की स्थिति में, अभातशिप का निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा।

17. **कठिनाईयों का निराकरण** – अभातशिप, शिक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके इन दिशानिर्देशों के उपबंधों के निर्वचन में कठिनाई को दूर करने के लिए इन दिशानिर्देशों में परिवर्तन कर सकेगी।

प्रो० राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन -III/4/ असा. /521/2020-21]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2021

AICTE (Open and Distance Learning Education and Online Education) Guidelines, 2021

F. No. AICTE/P&AP/ODL-ONLINE/2021.-

Preamble

Education can be delivered in Synchronous and Asynchronous mode. In Synchronous mode the teacher and learners' interaction occurs either in face-to-face mode or using online mode. The ODL mode of education is largely asynchronous where the learners get self-learning materials and prepares without much interaction with the faculty. AICTE has through gazette notifications issued Guidelines in 2019 for imparting education through Open and Distance Learning(ODL) mode by Standalone Institutions and Institutions-Deemed to be Universities and amended the same in 2020 to bring these guidelines in conformity with UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 & UGC Regulations, 2018. As the new National Education Policy (NEP)-2020 has laid emphasis on increasing Gross Enrolment Ratio(GER) through the use of technology and ICT, to fulfil the objectives of NEP-2020 and to promote ODL and Online Education AICTE has framed comprehensive Guidelines for imparting Education through ODL & Online mode.

Now, therefore;

In exercise of the powers conferred by and in discharge of its functions and duties under sub-section (1) of section 23 read with section 10(b) (g) (i) (j) (m) (n) and (o) of AICTE Act, 1987, and in supersession of the AICTE (Open and Distance Learning Education) Guidelines, 2019 notified for Standalone Institutions, Deemed to be Universities and AICTE (Open and Distance Learning Education) Guidelines, 2020 notified for Standalone Institutions, Deemed to be Universities, the AICTE notifies these Guidelines applicable for higher educational institutions viz; Standalone Institutions, Institutions-Deemed to be Universities and Universities for conducting courses of technical education in the field of Management and allied areas, Computer Applications, Artificial Intelligence and Data Science in the Engineering & Technology domain, Logistics and Travel & Tourism, through Open and Distance Learning and / or Online (ODL-Online) Education mode in line with the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 as under:-

PART – I

1. Short title, application and commencement:

These Guidelines are meant for Open and Distance Learning Education and Online Education for Institutions for offering courses in Management and allied areas, Computer Applications, Artificial Intelligence and Data Science in the Engineering & Technology domain, Logistics and Travel & Tourism titled as "AICTE (Open and Distance Learning Education and Online Education) Guidelines, 2021".

1.1. These Guidelines lay down the minimum norms and standards for programmes, curricula, admissions, physical and instructional facilities, faculty and staff pattern, their qualifications, quality teaching learning, instructions, assessment and examinations for the award of Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate, Post Graduate Diploma and Post Graduate Degree Level Programmes (as defined in Approval Process Handbook) through Open and Distance Learning mode and / or Online Mode, and shall be in addition to and not in derogation of any other Guidelines, Notifications or Instructions issued by the AICTE from time to time.

1.2. These Guidelines shall apply to Institutions viz.; Standalone Institutions, Institutions-Deemed to be Universities and Universities for conducting programmes of specified duration learning at the Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate, Post Graduate Diploma and Post Graduate Degree levels in the field of Management and allied areas, Computer Applications, Artificial Intelligence and Data Science in the Engineering & Technology domain, Logistics and Travel & Tourism.

1.3. These Guidelines shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In these Guidelines, unless the context otherwise requires:

2.1. "Academic Session" means duration of twelve months beginning either in January/ February or in the month of July /August, as the case may be, of every calendar year;

2.2. "Act", means the AICTE Act, 1987;

2.3. "APH" means AICTE Approval Process Handbook.

2.4. "Centre for Internal Quality Assurance" (CIQA) means a Centre established by an Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and / or Online mode for ensuring the quality of programmes offered by it through internal quality monitoring mechanism.

2.5. "Conventional Mode" means a mode of providing learning opportunities through face-to-face interaction between the teacher and learner in regular class room environment but does not exclude supplementary instructions, if any, for the learner through use of online mode;

2.6. "Credit" means the Unit award gained by a learner by study efforts of a minimum number of hours required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit;

2.7. "Diploma / Post Diploma Certificate / Post Graduate Certificate / Post Graduate Diploma / Post Graduate Degree" means an award of a Certificate / Diploma / Degree defined under sub-section 10(i) of the AICTE Act, 1987 (as defined in the Approval Process Handbook).

2.8. "Dual Mode Institution" means an institution offering programmes under conventional mode and also under Open and Distance Learning mode and/or Online mode;

2.9. "e-Learning Material" means and includes contents in the form of structured course material, as a part of one or more courses in the Online Programme, in digital format delivered through Learning Management System, which is inter-alia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books; as defined in these regulations;

2.10. "Examination Centre" means a place where examinations are conducted for the Open and Distance Learning mode and / or Online mode learners and is having the requisite infrastructure and adequate manpower for smooth conduct of examinations.

2.11. "Franchising" for the purpose of these guidelines, means and includes the practice of allowing, formally or informally, any person or institution or organisation, other than the Institutions recognised under these guidelines for offering programmes in Open and Distance Learning mode and / or Online mode, to offer such programmes of study on behalf of or in the name of the recognised Institutions, and the terms 'franchise' and 'franchisee' shall be construed accordingly.

2.12. "Information and Communication Technology" means the diverse set of tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, manage information and be deployed for realizing the goals of interactive teaching-learning, enhancing access, ensuring knowledge cum information sharing, building capacities and management of the educational system and resources;

2.13. "Institutions" means Higher Educational Institutions which include Standalone Institutions, Institutions-Deemed to be Universities and Universities under UGC Act, 1956.

2.14. "Integrated Programme" shall have the same meaning as prescribed in AICTE-Approval Process Handbook (APH);

2.15. "Learner Support Centre" means a centre established, or recognised by the Institution for advising, counselling, providing interface between the teachers and the learners, and rendering any academic or any other related service and assistance required by the learners;

2.16. "Learner Support Services" means and include such services as are provided by an Institution in order to facilitate the teaching-learning experience for the learner to the level prescribed by the AICTE in respect of a programme of study;

2.17. "Learning Management System" means a system to keep track of delivery of e-Learning Programmes, learner's engagement, assessment, results, reporting and other related details in one centralized location;

2.18. MOOC shall have the same meaning as assigned to it under AICTE (Credit Framework for Online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016;

2.19. "Online Mode" means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using internet, e-Learning Materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology assisted mechanism and resources;

2.20. "Open and Distance Learning (ODL)" mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, MOOC, online and occasional interactive face-to-face meetings arranged by Institution through Learner Support Services to deliver teaching-learning experience, including practical or work experience;

2.21. "Programme" means a course or a programme of study leading to the award of a Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate, Post-Graduate Diploma, Post Graduate Degree in an Institution;

2.22. "Prohibited Programmes" means programmes in Engineering and Technology-except mentioned explicitly in these guidelines, Pharmacy, Architecture, Hotel Management, Applied Arts, Crafts and Design as the AICTE does not allow Open and Distance Learning and Online mode education in Engineering, Technology, Pharmacy, Architecture, Hotel Management, Applied Arts, Crafts and Design being laboratory, hands on and practice intensive;

2.23. "Prospectus" includes any publication, whether in print or electronic form, issued for providing fair and transparent information, relating to an Institution and Programmes, to the general public (including to those seeking admission in such Institutions) by the management of such Institutions or any authority or person authorized by such Institutions to do so;

2.24. "PPR" means Programme Project Report;

2.25. "Proctored Examination" means the examination conducted under the supervision of approved person or technology enabled proctoring which ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking environment, either in pen-paper mode or in computer based testing mode or in full-fledged Online mode; as permissible in Open and Distance Learning mode and Online mode under these regulations;

2.26. "Regional Centre" means a Centre established or maintained by the Institution for the purpose of coordinating and supervising the work of the Learner Support Centres in the region as per its territorial jurisdiction and for performing such other functions as may be conferred on such Centre by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

2.27. "Self-Learning Material for Open and Distance Learning mode" means and includes contents in the form of course material, whether print or electronic, which is inter-alia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books;

2.28. "Self-Learning e-Module for Online mode" means a modular unit of course material in e-learning form which is inter alia self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study and includes contents in the form of a combination of the following e-Learning content, namely:-

(a) e-Text Materials;
(b) Video Lectures;
(c) Audio-Visual interactive material;
(d) Virtual Classroom sessions;
(e) Audio Podcasts;

(f) Virtual Simulation; and
(g) Self-Assessment Quizzes or Tests;

2.29. SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) means the learning management system as specified in the AICTE (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations 2016 or later amendments thereof.

2.30. "Technical Education" means such education defined as per the AICTE Act, imparted by means of conducting regular classes or through Open and Distance Learning/Online Learning education systems (only in those areas permitted by the AICTE from time to time), beyond ten years of schooling leading to a three year Diploma; or beyond twelve years of schooling leading to the award of a Degree; or beyond Diploma leading to a Post Diploma Certificate; or beyond Graduation leading to a Post Graduate Certificate; or Post Graduate Diploma or Post Graduate Degree (as defined in the APH).

2.31. "UGC" means University Grants Commission;

2.32. "UGC (Online-ODL) Regulations" means UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 as amended from time to time.

2.33. "Universities/Deemed to be Universities" means Higher Educational Institutions declared to be University under UGC Act 1956.

PART – II: RECOGNITION OF INSTITUTIONS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) MODE AND ONLINE MODE PROGRAMMES

3. Institutional Level Eligibility Criteria:

Any Institution, may apply for offering programmes through the Open and Distance Learning mode and / or Online mode, which fulfils the following conditions, namely: -

(a) Institutions having NAAC score of **3.26** and above on a scale of 4 or NBA Score of 700 on a scale of 1000 or having rank in Top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework, at least twice in three preceding cycles (at the time of application), shall be permitted to start full-fledged ODL courses and / or Online courses without prior approval of the AICTE only in the NBA accredited programmes, provided it satisfies all the conditions mentioned in these regulations:

Provided also that Institutions shall be required to submit application and desired information, and comply to all the provisions of the Guidelines and shall be required to submit an affidavit to the AICTE.

(b) Any Institution, may apply for offering programmes through the ODL mode and / or Online mode, which fulfils the following conditions, namely:-

shall be in existence for at least five years; and

(i) shall be accredited by the National Assessment and Accreditation Council with minimum score of 3.01 on a 4-point scale;

or

(ii) NBA accreditation with at least 650 points on a scale of 1,000

or

(iii) shall be in the top-100 in the University category in the National Institutional Ranking Framework for at least twice in last three preceding cycles (at the time of application).

Provided further, Institution has to acquire NBA Accreditation with a minimum score of 650 points on a scale of 1000 in next 2-years from the date of initial approval.

4. Requirements for Submission of Proposals:-

The requirements as specified in the UGC (Online-ODL) regulations as thereof and as specified in the Approval Process Handbook of the respective year.

5. Programmes Approval Process:

(1) An Institution intending to offer a programme through ODL mode and/or Online mode for academic session and for subsequent years, shall make an online application, as and when invited by the AICTE in the format notified by AICTE and upload the same on the specified portal along with scanned copy of all the documents specified therein;

These Institutions shall submit an affidavit to the AICTE that they shall comply to provisions of these Guidelines prior to the beginning of next academic session from the notification of these regulations.

(2) The AICTE shall process the application received as per the guidelines in the following manner, namely:-

(i) any deficiency or defect in the application shall be communicated by the AICTE to the Institution and the Institution shall be required to remove or rectify such deficiencies or defects with the necessary documents or information, if any, within fifteen days;

(ii) where the Institution has made an application for offering programme(s) in ODL mode and/ or Online mode, the AICTE may cause an inspection, in respect of such programme(s), of the Institution at its discretion through an Expert Committee;

(iii) the AICTE shall examine the application with the help of an Expert Committee constituted by the Council and the recommendations of the Committee shall be placed before the EC/Council for its consideration.

(3) After processing the application in the manner laid down as prescribed in AICTE-APH for offering programme(s) through ODL mode and/or Online mode, the AICTE shall-

(i) if it is satisfied that such Institution fulfils the conditions laid down and the quality parameters specified under these regulations, pass an order granting approval to such Institution in respect of such programmes either in ODL mode or in Online mode or in both modes, as it may specify in the order, and subject to such conditions as it may specify:

Provided that while passing an order, where the AICTE does not grant approval in respect of one or more programmes, the AICTE shall specify the grounds of such refusal in the order.

(ii) If the AICTE is of the opinion that such Institutions do not fulfil the requirements laid down in clause (i) in respect of any of the programme intended to be offered by the Institution either in ODL mode or in Online mode or in both modes, it shall pass an order refusing approval to such Institution for reasons to be recorded in writing.

(4) Every order granting or refusing approval to the Institution for programme(s) in ODL mode and/or Online mode *as prescribed in AICTE-APH* shall be communicated in writing for appropriate action to such Institution and to the concerned State Government, UGC and the Central Government.

(5) Every Institution, in respect of which approval for programme(s) has not been granted by the AICTE, shall discontinue the programme(s) in ODL mode and/or Online mode with immediate effect:

Provided that the learners already enrolled in the currently approved programmes shall be allowed to complete the Programmes in the laid down manner.

Every Institution which is accorded approval by the AICTE shall offer programme(s) in ODL mode and/or Online mode from the academic session as mentioned in the AICTE Order.

(6) NO Institution shall offer any ODL and/or Online programme and admit learners thereto unless it has been granted approval by the AICTE and admission shall not be made in anticipation of the approval.

(7) **Intake:** The approval of intake is maximum of three times of the sanctioned intake of specific programme in conventional / regular mode.

(8) Norms for offering programmes through ODL mode and / or Online mode based on a credit system

Level/ Programme	Credits	Duration of the programme
Diploma after Class X	120	3 years
Master Degree in Computer Applications	80	2 years
Post Graduate Degree in Management	80	2 years
Post Graduate Diploma	80	2 years
Post Graduate Certificate	40	More than 1 year but less than 2 years
Post Diploma Certificate	40	More than 1 year but less than 2 years

Note:

(a) *One Credit is equivalent to one lecture hour or tutorial hour per week for 14-15 weeks in the conventional mode of education. In case of ODL Mode, one credit is equivalent to 30 hours of learning by a Learner through a combination of synchronous, asynchronous or face-to-face mode.*

(b) *The maximum duration for completing the program under ODL mode and / or Online mode shall be double the duration of the respective programmes.*

(9) Approval for conducting programme:

a) Standalone Institutions conducting PGDM/PGCM or Travel and Tourism programmes shall be given approval after going through the whole process.

b) As per the UGC (Online-ODL) Regulations 2020, approval of respective regulatory body is necessary for running the programmes of that domain and accordingly institutions which are Institutions Deemed to be Universities and Universities shall take approval of the AICTE and also necessarily shall take the approval of the UGC in order to actually run the programme. None of the affiliated colleges / institutions are allowed to conduct programmes in ODL mode and / or Online mode.

6. Withdrawal of approval: -

(1) Where the AICTE, on its own motion or on any representation received from any person, or any information received from any authority or a statutory body, or on the basis of any enquiry or inspection conducted by it, is satisfied that an Institution has contravened any of the provisions of these Guidelines and orders made or issued there under, or has submitted or produced any information and documentary evidence which is found to be false at any stage or any condition subject to which recognition has been granted, it may withdraw recognition of such Institution in respect of such programme(s) as it may specify, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such order against the Institution shall be passed unless a reasonable opportunity of making a representation against the proposed order has been given to such Institution as per the APH.

Provided further that the order, of withdrawing or refusing approval passed by the AICTE, shall come into force with immediate effect.

The withdrawal of approval for Institutions Deemed to be Universities and Universities shall be communicated to UGC for further necessary action.

(2) If an Institution offers any programme in ODL mode and / or Online mode after the coming into force of the order withdrawing recognition under these guideline or where an Institution offering a programme in ODL mode and / or Online mode before the commencement of these guidelines, fails to obtain recognition under these guidelines for offering programmes in ODL mode and / or Online mode for academic session immediately after the notification of Guidelines and subsequent academic sessions, the Diploma/ Post Diploma Certificate/ Post Graduate Certificate/ Post Graduate Diploma and Post Graduate Degree obtained pursuant to such programme shall not be treated as a valid qualification.

(3) In the event of any Institution found offering programmes in ODL mode and / or Online mode without the approval of the AICTE or in violation of any of the provisions of these Guidelines or orders made there under, the AICTE may-

(i) Issue Show Cause Notice or withdraw the approval for an academic session or withdraw the approval, maximum up to next five academic sessions or withdraw the approval permanently;

(ii) Lodge a First Information Report (FIR) against the officials or management of the errant Institution to take action as per law, if in spite of the above, the Institution is found continuing the violations;

(iii) Withdraw approval of programme;

(iv) Withhold or debar from receiving funding from the AICTE;

(v) Refer the matter to the UGC, State Government concerned or Central Government as the case may be, in case of Universities and Deemed to be Universities; and

(vi) Take action as per the provisions of the Act or Guidelines/Instructions/Regulations as applicable for the Institutions.

7. Appeals: -

7.1 Any Institution aggrieved by an order of withdrawal of approval under Guideline may prefer an appeal to the AICTE within a period of fifteen days.

7.2 No appeal after the expiry of the period prescribed, shall be accepted.

7.3 Every appeal made under these Guidelines shall be accompanied by a copy of the order appealed against and payment of such fees as may be prescribed by the AICTE from time to time.

7.4 The procedure for disposing of an appeal shall be as laid down by the AICTE from time to time in the APH.

7.5 The AICTE may confirm or reverse the order appealed against.

PART-III : MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURAL, ACADEMIC AND OTHER QUALITY STANDARDS BY INSTITUTIONS

The institution shall maintain infrastructure, academic and other quality standards as notified in UGC(Online-ODL) Regulations for Higher Educational Institutions, 2020 and updated from time to time and as prescribed in the AICTE-Approval Process Handbook of the respective year.

Provided that the Teachers (and equivalent academic positions) in the Centre of Distance and Online Education or Centre for Online Learning and Learner Support Centres (for ODL only) shall be appointed as per the minimum qualifications laid down by the AICTE and satisfy other guidelines specified in the UGC (Online-ODL) regulations.

PART-IV : ADMISSIONS, EXAMINATIONS AND LEARNER SUPPORT

The Institution shall follow UGC Norms as specified in UGC (Online-ODL) Regulations, 2020.

Provided that the AICTE (Redressal of Grievance of Student) Regulations, 2019 or later amendments and the related Regulations shall be adopted and operationalised by the Institution, and the Institution shall institute a system of Grievance Redressal.

PART-V : ASSESSMENT, ACCREDITATION, AUDIT, INSPECTION AND MONITORING

8. Assessment, Accreditation and Audit: -

(1) An Institution offering programmes in ODL mode and/or Online mode shall comply with UGC (Mandatory Assessment and Accreditation of Institutions) Regulations, 2012 or norms specified by NBA or NAAC or NIRF and in any case shall apply for assessment and accreditation under those regulations/ guidelines for assessment and accreditation of the programmes offered by it in ODL mode and / or Online mode.

(2) The Institution recognised under these Guidelines for imparting programmes in ODL mode and / or Online mode shall get all its programmes assessed through the Centre for Internal Quality Assurance once in a year in the format prescribed by the AICTE and the report on quality assurance shall, before the end of the academic year, be prominently placed on its website and a copy furnished to the AICTE.

(3) The Institution recognized under these Guidelines for imparting programmes in ODL mode and / or Online mode shall undergo third party academic audit every five years and internal academic audit by Centre for Internal Quality Assurance every year.

9. Powers to inspect and monitoring: -

(1) The AICTE shall periodically review the performance of the Institution and for the purpose may direct the Institution to provide such information as it may require from the viewpoint of ensuring adherence of the Guidelines by the Institution, and the Institution shall be under obligation to provide such information in such time period as may be specified.

(2) Where the AICTE, either *suo motu* or on the basis of information received by it, considers it necessary, for reasons to be recorded in writing, may cause an inquiry through inspection or otherwise by such body of experts or as it may deem fit, to satisfy itself that all the mandatory requirements under these Guidelines are being complied with by the Institution imparting programmes in ODL mode and / or Online mode and take appropriate action to get compliance enforced against the erring Institution.

PART-VI : MISCELLANEOUS

10. Authority: -

(1) The AICTE may authorise the officials of the AICTE to perform various functions for implementing these Guidelines.

(2) For the purpose of these Regulations, the AICTE may delegate its power to the Chairman of the AICTE, as it may specify in writing.

(3) For the purposes of Appeal etc., the AICTE may delegate its power to hear and decide appeals to such person or persons, including officials of the AICTE, as it may specify in writing.

11. Equivalence of qualification acquired through Conventional or Open and Distance Learning and Online modes: The programme offered by the institutions through ODL mode and / or Online mode is equivalent to the Certificate / Diploma / PG Diploma / PG Degree level programme offered in conventional mode.

12. Learner centric provisions:

(i) **Learner's mobility:** A learner enrolled for a programme under ODL mode and/or Online mode in an Institution recognized by the AICTE under these regulations shall be eligible for mobility from one mode of learning to another mode of learning within the Institution as per the provisions stipulated under its Act and with the approval of statutory authorities of the Institution;

Provided that in case a programme is under the domain of regulatory authority / statutory council, the Institution shall take permission from the concerned regulatory authority / statutory council for mobility of learners under such programmes.

(ii) **Admission taken during recognition period**: Admission taken in a recognized programme under ODL mode and/or Online mode during the recognition period stands recognized till the completion of programme, even if the Institution does not have recognition for further years, provided the programme is offered as per the AICTE norms of territorial jurisdiction and in conformity with the extant guidelines and/or AICTE Guidelines and regulations of respective regulatory bodies.

(iii) **Learner's enrolment (for Open and Distance Learning mode)**: A Learner residing in any part of the Country may enroll in any programme being offered by an Institution recognized by the AICTE for offering programme under ODL mode provided that the Institution shall conduct all activities such as admissions, contact programmes, examinations etc. for learner strictly within the territorial jurisdiction of the Institution as specified in these regulations. The total number of Learners admitted at any Learner Support Centre shall not exceed 1000 at any time, subject to fulfilment of other conditions as prescribed in AICTE-APH. In case the enrolment is higher than 1000 at a Learner Support Centre, the number of positions and Infrastructure shall be increased on pro-rata basis.

(iv) **Learner's enrolment (for Online mode)**: A Learner residing within or outside India may enrol in any course being offered by an Institution recognized by the AICTE for offering programme under Online mode.

13. **Offering of Certificate and Diploma level Programmes**:— An Institution recognized for offering programmes at Post Graduate Degree, Post Graduate Diploma/ Certificate levels in ODL mode and/or Online mode may offer Certificate or Diploma programmes in ODL mode and/or Online mode in the domains other than prohibited programmes subject to the condition that before the actual start of such programmes, all the Certificate or Diploma programmes have to be duly approved by the statutory authorities of the Institutions and the regulatory authority /council, as applicable, and the delivery mechanism conforms to the quality standards of the ODL education and/or Online education. The Institution shall be solely responsible for any legal issues arising out of non-compliance of such requirements:

14. **Integrated programme through Open and Distance Learning mode and/or Online mode**: Any proposal received from the Institutions for offering an integrated programme through ODL mode and/or Online mode shall be considered by the AICTE only if it is in compliance to the UGC notification on Specification of Degrees as applicable from time to time.

15. **Mandatory Requirements:** The mandatory requirements as given in the UGC(Online-ODL) Regulations such as (i).Centre for Internal Quality Assurance (ii).Conduct of examination and minimum standards for examination centres, (iii) Human Resource and Infrastructural Requirements, (iv).Guidelines on Programme Project Report (PPR), (v).Quality Assurance Guidelines of Learning Material in Multiple Media and Curriculum and Pedagogy, (vi).Guidelines on Self-Learning Material and E-Learning Material, (vii).Learner Support Centres, Assessment Criteria for offering Online programmes through Non-SWAYAM learning platform, (viii) Grievance Redress Mechanism have to be met as per the Annexures given in the UGC (Online-ODL) Regulations 2020 and as amended from time to time.

16. **Interpretation Clause:** If any question arises relating to interpretation of these Guidelines, decision of the AICTE shall be final and binding.

17. **Removal of difficulty:** The AICTE may, in consultation with Ministry of Education (MoE), Govt. of India, make changes in these Guidelines to remove the difficulty in implementation of the provisions of these Guidelines.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[Advt./III/4/Exty./521/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.04 17:06:28 +05'30'